न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दूदू

बइजलास :– गोपाल परिहार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 03/2025

हरिराम पुत्र जगदीश मीणा निवासी रतनपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर, राज0

(अपीलार्थी)

बनाम

1 सरकार जरिये उपतहसीलदार निमेडा, जिला जयपुर, राज0 ।

(रिस्पोडेन्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्व आदेश

दिनांक 07.04.2025 उपतहसीलदार निमेडा

उपस्थित :–

1. श्री राजेन्द्र गुर्जर, महेन्द्र सिंह नाथावत विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी की और से।

2 पैरोकार सरकार ।

निर्णय दिनांक :– 18.03.2026

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत हल्का पटवारी हथेली, तहसील फागी ने दिनांक 15.07.2024 को भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत इस आशय की अप्रार्थी/अपीलांट हरिराम पुत्र जगदीश जाति मीणा निवासी रतनपुरा, तहसील फागी ने ग्रम रतनपुरा के आराजी खसरा नम्बर 197 रकबा 0.2529 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता में से 0.0126 हैक्टेयर भूमि पर चद्दर, हौलद व बाथरूम बनाकर अनाधिकृत अतिक्रमण कर रखा है। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थी हरिराम के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी कर तलब किया गया। नोटिस तामिल होने पर अपीलांट न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत किया, अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थी/अपीलांट के समस्त प्रतिरक्षा के तथ्यों को नजरअंदाज करते हुये अप्रार्थी/अपीलांट को धारा 91 के तहत खसरा नम्बर 197 रकबा 0.2529 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रास्तजा अतिक्रमण रकबा 0.0126 हैक्टेयर से बेदखल करने का निर्णय तथा जुर्माने

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

Scanned with OKEN Scanner

के रूप में बारह लगान 0.32 का 50 गुणा 16 रूपये अर्थदण्ड लगाया गया। न्यायालय उपतहसीलदार निमेडा के निर्णय दिनांक 07.04.2025 से पीडित होकर अपीलांट की ओर से अपील निम्न तथ्यों के साथ प्रस्तुत है:–

अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत दोषी मानने में भारी भूल की है। अपीलांट अपनी स्वयं की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 198 पर ही पुराना कब्जा है, तथा पुराने लट्ठ से नाप करने से अपीलांट का हौद व चद्दर खसरा नम्बर 198 का ही भाग है इस तथ्य की जांच आवश्यक है इस तथ्य की जांच किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को दोषी मानकर निर्णय किया जो विधि संगत नहीं है। इस तथ्य तथ्य की जांच किये बिना 91 एलआरएक्ट की कार्यवाही लागू होती है ना ही कार्यवाही प्रारम्भ की जा सकती है। अपीलांट द्वारा पेश जवाब व दस्तावेज को नजर अंदाज करते हुये निर्णय पारित किया है। खसरा नम्बर 197 गैर मुमकिन रास्ता है जिस पर सरकार द्वारा कातला खरंजा लगाये हुये है अपीलांट का किसी भी प्रकार का अतिक्रमण सरपंच व ग्रम विकास अधिकारी ने भी नहीं माना है ना ही पंचायत समिति फागी ने अपीलांट का कब्जा माना है जो मौका रिपोर्ट दिनांक 24.05.2024 से व विकास अधिकारी फागी को ग्राम पंचायत मांदी द्वारा भेजी गयी रिपोर्ट दिनांक 16.07.2024 से बखूबी साबित है इस तथ्य पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जांच नहीं की ना ही हल्का पटवारी, सरपंच व विकास अधिकारी से किसी भी प्रकार की जांच पडताल की गयी ना ही उनके साक्ष्य अभिलिखित किये गये। अपीलांट अनुसूचित जाति जनजाति का गरीब व्यक्ति है जिसका गैर मुमकिन रास्ता के खसरा नम्बर 197 पर किसी किस्म का कब्जा नहीं है बल्कि विद्युत पोलों से भी 25 फीट दूर अपीलांट के शौचालय व पानी का हौद व चद्दर है जो खसरा नम्बर 198 में है। ग्राम रतनपुरा के साबिक नक्शे लट्टे में खसरा नम्बर 197 रास्ते की चौडाई आबादी में लगते 40 फीट है और वर्तमान में ऑनलाईन नक्शे में 50 फीट है। अपीलांट के साबिक नक्शे लट्ठे खसरा नम्बर 198 में ही शौचालय, हौद व चद्दर है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण तथ्य की भी गहनता से जांच पडताल नही कर निर्णय पारित कर दिया। हल्का पटवारी ने खडी फसलों के दौरान ही ऑनलाईन नक्शे के आधार पर ऐप से ही सीमाज्ञान कर अपनी रिपोर्ट पेश की है। हल्का पटवारी को खसरा नम्बर 197 की सीमाज्ञान करने से पूर्व नक्शे लठ्ठे से चाह/कुएँ चिन्हित करना चाहिए। नक्शे लठ्ठे में आबादी भूमि खसरा नम्बर 191 चाह चिन्हित है लेकिन आज की डी एल आर एम खसरा नम्बर 191 में चाह चिन्हित नहीं है। इसलिए खसरा नम्बर 197 गैर मुमकिन रास्ते का नाप साबिक नक्शा व लट्ठा व तहसील मोमीया शीट से ही नापा जा सकता था ऐसा नाप हल्का पटवारी द्वारा नहीं कर मात्र ऐप सेही रास्ते को नाप कर रिपोर्ट पेश कर दी। अधीनस्थ न्यायालय ने मौका रिपोर्ट दिनांक 16.05.2024 पर गौर नहीं किया जिसमें स्पष्ट लिखा था कि मौके पर अतिक्रमण हटा दिया गया है। उक्त रिपोर्ट में अपीलांट का किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं माना। अधीनस्थ न्यायालय को खसरा नम्बर 197, 201 का सीमाज्ञान का कार्य तहसील मोमियॉ शीट पुरानी व नक्शे लटठे से जरीब से करने का हल्का पटवारी को निर्देश देना चाहिए, जिसमें चाह को चिन्हित थे। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाया जाकर अपीलाधीन आदेश उपतहसीलदार निमेडा के निर्णय दिनांक 07.04.2025 को अपास्त फरमाया जावें।

प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टस की तलवी जारी की गई। रेस्पोडेन्ट पैरोकार सरकार उपस्थित।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि गैर मुमकिन रास्ता के खसरा नम्बर 197 पर किसी किस्म का कब्जा नहीं है बल्कि विद्युत पोलों से भी 25 फीट दूर अपीलांट के शौचालय व पानी का हौद व चद्दर है जो खसरा नम्बर 198 में है। ग्राम रतनपुरा के साबिक नक्शे लट्टे में खसरा नम्बर 197 रास्ते की चौडाई आबादी में लगते 40 फीट है और वर्तमान में ऑनलाईन नक्शे में 50 फीट है। अपीलांट के साबिक नक्शे लट्ठे खसरा नम्बर 198 में ही शौचालय, हौद व चद्दर है। हल्का पटवारी ने खडी फसलों के दौरान ही ऑनलाईन नक्शे के आधार पर ऐप से ही सीमाज्ञान कर अपनी रिपोर्ट पेश की है। हल्का पटवारी को खसरा नम्बर 197 की सीमाज्ञान करने से पूर्व नक्शे लठ्ठे से चाह/कुऍं चिन्हित करना चाहिए। नक्शे लट्ठे में आबादी भूमि खसरा नम्बर 191 चाह चिन्हित है लेकिन आज की डी एल आर एम खसरा नम्बर 191 में चाह चिन्हित नहीं है। इसलिए खसरा नम्बर 197 गैर मुमकिन रास्ते का नाप साबिक नक्शा व लट्ठा व तहसील मोमीया शीट से ही नापा जा सकता था ऐसा नाप हल्का पटवारी द्वारा नहीं कर मात्र ऐप से ही रास्ते को नाप कर रिपोर्ट पेश कर दी। अधीनस्थ न्यायालय ने मौका रिपोर्ट दिनांक 16.05.2024 पर गौर नहीं किया जिसमें स्पष्ट लिखा था कि मौके पर अतिक्रमण हटा दिया गया है। उक्त रिपोर्ट में अपीलांट का किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं माना है। अधीनस्थ न्यायालय को खसरा नम्बर 197, 201 का सीमाज्ञान का कार्य तहसील मोमियॉ शीट पुरानी व नक्शे लटठे से जरीब से करने का हल्का पटवारी को निर्देश देना चाहिए, जिसमें चाह को चिन्हित थे। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाया जाकर अपीलाधीन आदेश उपतहसीलदार निमेडा के निर्णय दिनांक 07.04.2025 को अपास्त फरमाया जावें।

पैरोकार सरकार ने दौराने बहस निवेदन किया कि अपीलार्थी हरिराम पुत्र जगदीश जाति मीणा निवासी रतनपुरा, तहसील फागी ने ग्राम रतनपुरा के खसरा नम्बर 197 रकबा 0.252 हैक्टैयर किस्म गै0मु0 रास्ता अतिक्रमित रकबा 0.0126 हैक्टैयर पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर चद्दर, हौद व बाथरूम बनाकर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है। अपीलार्थी का अतिक्रमी होने से पैनल्टी आरोपित की गई है जो विधि सम्मत है, इसलिए निर्णय दिनांक 07.04.2025 यथावत रखा जाकर अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावें।

उभयपक्ष की बहस को गौर से सुना गया एवं उस पर मनन किया । पत्रावली का भलीभॉती अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया कि अपीलार्थी द्वारा ग्राम रतनपुरा के खसरा नम्बर 197 रकबा 0.252 हैक्टैयर किस्म गै0मु0 रास्ता अतिक्रमित रकबा 0.0126 हैक्टैयर पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर चद्दर, हौद व बाथरूम बनाकर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राज. भू. राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर अपीलार्थी को नोटिस जारी किये, अपीलार्थी नियत दिनांक को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नही होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को अतिक्रमित रकबा 0.0126 हैक्टेयर से बेदखल करने व अर्थदण्ड लगाया गया है। अपीलार्थी द्वारा गै0मु0रास्ता भूमि पर अनाधिकृत रूप से चद्दर, हौद व बाथरूम बनाने के कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार राज. भू राजस्व अधि. की धारा 91 के तहत अपीलार्थी के विरूद्व कार्यवाही की है जो उचित है। अपीलार्थी ने न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज पेश नही किया जिससे यह साबित हो कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.04.2025 के समय अपीलार्थी का गै0मु0 रास्ता भूमि पर अतिक्रमण नही हो। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की

अतिरिक्त जिला कलक्टर
पूदू

की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार निमेडा के आदेश दिनांक 07.04.2025 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति उपतहसीलदार निमेडा को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो। पत्रावली बाद तकमील फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.03.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(गोपाल परिहार)
अति0 जिला कलक्टर
दूदू

Scanned with OKEN Scanner